निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 622) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2010

सं0 15/डी 1-01/09 अंश-I-उ0शि0—2374

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2010

विषयः—राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्नातक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान सहित लागू करने के संबंध में।

भारत सरकार के पत्रांक एफ-1-32/2006-U-II/U,I(i), दिनांक 31 दिसम्बर 1998 के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं स्नातक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के संबंध में प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2006 से दिनांक 31 मार्च 2010 तक वेतन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का 80 प्रतिशत वहन करने का उल्लेख किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय के एक अन्य पत्रांक एफ 3-1/2009 यू0I दिनांक 04 जून 2009 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण के प्रसंग में फिटमेन्ट टेबुल की प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है। विषयाधीन विषय से संबंधित वर्णित दोनों पत्रों वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के पूर्ण विचारोपरान्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 (*ii*) के परन्तुक में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों, घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एंव राजकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ कुलपति एवं प्रतिकुलपति के वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नांकित शर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन, दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है :-

(1) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन लागू होने की स्थिति में 1 अप्रील 2010 से सम्पूर्ण व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान नियुक्ति एवं प्रोन्नति सहित अन्य सभी शर्त्तो एवं बन्धेजों के साथ सेवानिवृत्ति की आयुसीमा को छोड़कर दिनांक

01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया जाय तथा इन्हें प्रभावी करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों में आवश्यक संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से किया जायगा।

(3) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के व्याख्याताओं/रीडर को क्रमशः सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से जाना जायेगा परन्तु प्रोफेसर के पदनाम में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों एवं शैक्षणिक शर्त्तों यथा पी0एच0डी0 एवं अन्य शैक्षणिक शर्त्तों को धारित नहीं करनेवाले व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति या पदनामित किये जाने हेतु योग्य नहीं होंगे, तथापि विभिन्न न्याय निर्णयों से प्रभावित होने वाले मामलों को छोड़कर पूर्व से पदनामित प्रोफेसरों के स्टेटस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन-निर्धारण उनके पदनाम के अनुरूप दो वेतन बैंडों रु0 15600-39100 एवं रु0 37400-67000 के उचित एकेडमिक ग्रेड-पे (संक्षेप में ए0जी0पी0) के साथ निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन बैंड में विभिन्न स्तरों पर एकेडमिक ग्रेड-पे पर शिक्षकों एवं अन्य समकक्षी कैडर वालों का इस योजना के तहत अन्य सेवाशर्त्तों के प्रावधानों के अनुरूप उनको अपने पेशा/वृत्ति में आगे बढ़ने का गुणात्मक सुअवसर प्राप्त होगा।

(6) सहायक प्रोफेसर के पद पर नई नियुक्ति के लिए नेट (नेशनल इलिजीविलीटी टेस्ट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा परन्तु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित (एडोप्टेड) शर्त्तों के अधीन पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को नेट पास किये जाने की अर्हता में छूट होगी। वैसे स्नातकोत्तर प्रोग्राम जिसमें नेट का प्रावधान नहीं है, नेट अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

(7) विभिन्न कोटि के शिक्षकों यथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर के पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, सेवाशर्त्त एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम निम्नप्रकार का होगा:-

(i) राज्य के विश्वविद्यालयों के अध्यापन पेशा में प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाय और रुपये 15600-39100 के वेतन बैंड के साथ 6000 रुपये के शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एकेडमिक ग्रेड-पे) में रखा जाय। सेवा में पहले से ही ऐसे व्याख्याता जो विधिवत रूप से पूर्व से इस सेवा में हैं तथा जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में रु0 8000-13500 का वेतनमान नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है, को सहायक प्रोफेसर के रूप में 6000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ नामित किया जायगा।

(ii) एक सहायक प्रोफेसर संबंधित विषय में पी0एच0डी0 डिग्री के साथ 4 वर्षों की सेवा पूरी करने पर 7000 रु0 तक के शैक्षणिक ग्रेड-पे प्राप्त करने के योग्य माना जायगा।

(iii) सहायक प्रोफेसर, जो एम0फिल0 या विधिमान्य व्यावसायिक (प्रोफेसनल) पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर की, यथा- एल0एल0एम0/एम0टेक0 इत्यादि की डिग्री धारित करते हों, उन्हें 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात 7000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे पाने के योग्य माना जायगा।

(iv) ऐसे सहायक प्रोफेसर, जिन्हें पी0एच0डी0 या एम0फिल0 की डिग्री प्राप्त नहीं है या प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री नहीं है, उन्हें सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्षों की सेवा पूरी होने के पश्चात ही 7000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे प्राप्त करने के योग्य माना जायगा।

(v) 6000 रु0 से 7000 रु0 का उच्च स्तरीय एकेडमिक ग्रेड-पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जानेवाले अन्य विनियमों/निदेशों की पूर्त्ति किये जाने की शर्त्त के साथ अनुमान्य किया जायगा।

(vi) व्याख्याता (सीनियर स्केल) के पदधारकों को, जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में रु0 10000-325-15200 का वेतनमान अनुमान्य है, सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जायगा तथा उन्हें रु0 15600-39100 के पे-बैंड के उपयुक्त स्तर पर निर्धारित करते हुए 7000 रु0 एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा।

(vii) वैसे सहायक प्रोफेसर, जो 5 वर्षों की सेवा 7000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ पूरी कर चुके हैं, उन्हें यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित की जाने वाली विनियमों/निदेशों के अधीन 8000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा।

(viii) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए रुपये 37400-67000 का वेतन बैंड के साथ 9000 रु0 एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा। सीधे नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर को रुपये 37400-67000 के वेतन बैंड में रखा जायगा तथा 9000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे के उपयुक्त स्तर पर नियुक्ति के समय निर्धारित की गयी शर्त्तों के अधीन अनुमान्य किया जायगा।

(ix) वर्त्तमान पदधारी रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) को जिन्होंने अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 12000-18300 रु0 में दिनांक 1 जनवरी 2006 को तीन वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें रुपये 37400-67000 का पे-बैंड तथा 9000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे में रखा जायगा। साथ ही साथ उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/विनियमों के अधीन नामित किया जायगा।

(x) इन प्रावधानों के लिए पदधारी रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) में वे सभी सम्मिलित हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा गठित किसी परिनियम के अधीन नियमित रूप से रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के पद पर प्रोन्नत हुए हैं परन्तु यदि किसी मामले में किसी न्याय निर्णय के तहत समीक्षोपरान्त नियुक्ति की प्रभावी तिथि में परिवर्त्तन किया जाय तो तदनुसार इस स्टेटस में परिवर्त्तन कर ही पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुमान्यता की जायगी।

(xi) ऐसे पदधारी रीडर और व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड), जिन्होंने अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 12000-420-18300 के वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2006 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें रु0 15600-39100 का पे-बैंड के उपयुक्त स्तर पर 8000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ तबतक रखा जायगा, जबतक वे अपनी तीन वर्ष की सेवा व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड)/रीडर के रूप में पूरी नहीं करते हैं; उसके पश्चात उन्हें 37400-67000 रु0 के वेतन बैंड में रखा जायगा एवं तदनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जायगा।

(xii) वर्त्तमान में रीडर/व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के सेवारत पदधारकों को, तबतक उनके पद के अनुरूप रीडर/व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के रूप में नामित किए जा सकते हैं, जबतक उन्हें रुपये 37400-67000 के पे-बैंड में नहीं रखा जाता है तथा उन्हें उप-कंडिका-(x) में विहित प्रावधानों के अधीन एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

(xiii) सहायक प्रोफेसर 8000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ तीन वर्ष की शिक्षण की अवधि पूरी करने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमों/दिशा निदेशों के अधीन रुपये 37400-67000 का उच्च स्तरीय पे बैंड के साथ 9000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे में उत्क्रमित तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जायगा।

(xiv) प्रत्यक्ष/ सीधी भर्त्तीवाले संबंधित विषय में पी0एच0डी0 उपाधि के साथ एसोसिएट प्रोफेसर 9000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त एवं नामित हो सकते हैं बशर्त्ते वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित शैक्षिक प्रदर्शनों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं की शर्त्तों को पूरा करते हों। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी ऐसे शिक्षक को, जिन्हें पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त हो परन्तु अन्य शर्त्तों को पूरा नहीं करते हों, प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत, नियुक्त या नामित नहीं किए जा सकेंगे। प्रोफेसर के पद के लिए रुपये 37400-67000 पे-बैंड के साथ 10000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे होगा।

(xv) सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त प्रोफेसर को 37400-67000 रु0 के वेतन बैंड के कम-से-कम प्रक्रम 43000 रु0 पर निर्धारित करते हुए 10000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा।

(xvi) किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुल पदों का 10 प्रतिशत पद 12000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड में होगा। प्रोफेसर के रूप में उच्च शैक्षणिक ग्रेड पे पर नियुक्ति हेतु अर्हता वही होगी जो यू०जी०सी०

द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा उनकी पात्रता/अर्हताओं में अन्य शर्त्तों के साथ उच्च मानक अनुसंधान पत्रिकाओं, यथा- Peer reviewed/Referred Research Journals में प्रकाशन के साथ प्रोफेसर के रूप में 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव एवं उच्च कोटि का पोस्ट डाक्टोरल शोध कार्य (Post Doctoral) का अनुभव अनिवार्य होगा। प्रोफेसर के रूप में सीधे नियुक्ति 12000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ नहीं होगा तथा साथ ही कम से कम 48000 रु0 के प्रक्रम से कम स्तर पर वेतन निर्धारित नहीं किया जायगा।

(xvii) स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद के बराबर प्रोफेसर का पद होगा, परन्तु उक्त पद प्रत्येक विभाग में एक-से-अधिक नहीं होगा तथा तद्नुसार प्रोफेसर के कुल पदों का एक चौथाई (25%) पद सीधी नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं शेष बचे तीन चौथाई (75%) पद महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर में से योग्यता (Merit) के आधार पर विश्वविद्यालय में चयन/ नियुक्ति हेतु स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा। स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले प्रोफेसर के पदों की स्वीकृति महाविद्यालय में उक्त विषय में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं तथा उनकी उत्तीर्णता के प्रतिशत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर गठित किये जानेवाले परिनियम के आधार पर किया जायेगा। प्रोफेसर के पदो की संख्या को एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या के अनुरूप सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति या मेरिट प्रोमोशॅन के लिए निर्धारित करने के क्रम में पूर्ण संख्या नहीं होने पर, उसे अगली पूरी संख्या में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(xviii) उपर्युक्त उप-कंडिका (*xvi*) एवं (*xvii*) के पद तभी सृजित होंगे, जब डिग्री एवं इंटरस्तरीय पदों का पूर्ण विभाजन सुनिश्चित कर लिया जायगा तथा विगत वर्षों में नामांकित तथा परीक्षा में भाग लेनेवाले छात्रों के आधार पर डिग्री विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों का युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन/बंदी की कार्रवाई पूरी कर ली जायगी।

(xix) प्रोफेसर की चयन/ नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जायगी तथा 25% प्रोफेसर का पद योग्य शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति या सीधी नियुक्ति द्वारा एवं शेष 75% पद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के संबंधित विभाग/ विषय (जिसमें शिक्षण की अनुमति राज्य सरकार द्वारा संसूचित है) के योग्य एसोसिएट प्रोफेसर में से मेरिट प्रोमोशॅन के तहत् भरा जायेगा। प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले प्रोफेसर के पदों की संख्या का जाँच स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों से सम्पर्क कर विश्वविद्यालय के द्वारा की जायेगी। मेरिट प्रोमोशॅन पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्त्ती हेतु प्रोफेसर के पदों की संख्या की जाँच के क्रम में अपूर्ण संख्या होने पर उसको उसके अगली संख्या में परिवर्त्तित किया जा सकेगा।

(xx) एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए उसकी पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक और शोध-कार्य की आवश्यकताओं से संबंधित शर्त्तें वही होंगी, जो यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित विनियमों के माध्यम से एवं राज्य सरकार द्वारा परिनियमों के माध्यम से विहित की जायगी।

(8) प्रधानाचार्य

(*i*) स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण/ शोध के अनुभव के दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन गठित परिनियम के तहत किया जाएगा। उनका वेतनमान पे बैंड 37400-67000 रु0 में 10000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे तथा 2000 रू0 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायेगा।

(*ii*) स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण/ शोध के अनुभव के दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन गठित परिनियम के तहत की जायेगी। उनका वेतनमान पे-बैंड रु0

37400-67000 रु0 में 10000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे तथा 3000 रु0 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायेगा।

(9) विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रतिकुलपति के वेतनमान

(*i*) कुलपति का वेतनमान 75000 रु0 का नियत वेतन 5000 रु0 प्रतिमाह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायगा।

(*ii*) प्रतिकुलपति का वेतनमान पे-बैंड रु0 37400-67000 में यथास्थिति 10000/12000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड-पे तथा 4000 रु0 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ इस शर्त्त के साथ अनुमान्य किया जायगा कि पे-बैंड में वेतन, एकेडमिक ग्रेड-पे तथा विशेष भत्ता मिलाकर 80000 रु0 से अधिक नहीं हो।

(10) वेतन निर्धारण—शिक्षकों के पदों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार के पत्रांक F.3-1/2009-UI, दिनाक 04 जून 2009 के द्वारा विहित वेतन निर्धारण टेबुल (तालिका) वर्त्तमान में लिये गये निर्णयों तथा वित्त विभाग के परामर्श को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जा रहा है। इस क्रम में वेतन निर्धारण सूत्र तथा उसकी प्रक्रिया, वेतन निर्धारण तालिका (टेबुल), उदाहरण, विकल्प प्रपत्र, शपथ-पत्र, वेतन निर्धारण प्रपत्र को अपेण्डिक्स -1 से 6 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

(11) वेतन-वृद्धि

(*i*) प्रत्येक वार्षिक वेतन-वृद्धि की दर कुल वेतन से संबद्ध पे-बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(*ii*) प्रत्येक अग्रिम वेतन-वृद्धि की दर भी कुल वेतन से संबद्ध पे-बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(*iii*) इस योजना के तहत् निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नत्ति हेतु कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान नहीं किया जायगा।

(*iv*) जहां शिक्षक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखते हैं और उन्हें 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्नप्रकार से निर्धारित होगा:-

(क) वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नरूप से किया जायेगा। वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतन-वृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन-वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

(*v*) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतन-वृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा ऊपर की सेवा पूरी कर चुके हैं, एक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। दिनांक 01 जनवरी 2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात् एक वेतन-वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2006 को स्वीकृत की जायगी। उन विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी जिनकी अगले वेतन-वृद्धि की

तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में है। वैसे सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, जिन्होंने दिनांक 01 फरवरी 2005 और 01 जनवरी 2006 के बीच पिछली वेतन-वृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, के लिए भी अगली वेतन-वृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2006 होगी परन्तु उन विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-वृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(*vi*) शिक्षकों को अपने वेतन बैंड के अधिकतम प्रक्रम/स्तर पर पहुँचने पर वेतन निर्धारण:-

अगर कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षक अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतन बैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतन-वृद्धि का लाभ दिया जायगा। उसके पश्चात् वह उक्त वेतन बैंड में तबतक रहेगा, जबतक उनका वेतन चालू वेतन संरचना के रु0 37400-67000 के वेतन बैंड के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता है।

(12) अन्य सेवा-शर्त्तें तथा भत्ते

(*i*) मंहगाई भत्तों की अनुमान्यता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से दिया जायगा।

(*ii*) मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, यात्रा-भत्ता और चिकित्सा भत्ता राज्यकर्मियों के समान संकल्प निर्गत होने की तिथि से अनुमान्य किया जायगा।

(*iii*) शिक्षकों के सम्वर्ग से संबंधित वैसे अंधे/ विकलांग या अन्यान्य शारीरिक रूप से अपंग कर्मियों को सामान्य रूप से स्वीकृत दर से दूना परिवहन भत्ता देय होगी।

(13) शैक्षणिक अवकाश

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को, जिन्होंने एम0फिल/ पी0एच0डी0 उपाधि हासिल नहीं किया है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जा रहे संशोधित नियमों के अनुरूप एम0फिल/ पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

2. योजना के लागू करने के वांक्षनीय तत्व--

(i) प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, राजकीय तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियाओं के अधीन एवं विधिवत् रूप से नियुक्त शिक्षकों को ही अनुमान्य किया जायगा। इंटर स्तर पर अनुमान्य/अनुमान्य होनेवाले पदों पर कार्यरत शिक्षकों को यह वेतनमान नहीं दिया जायगा, परन्तु इन्टर की पढ़ाई के लिए अनुमान्य/अनुमान्य होने वाले पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति डिग्री स्तरीय पढ़ाई के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों के साथ हुई है, उन्हें भी डिग्री स्तरीय स्वीकृत पदों का वेतनमान तबतक दिया जायगा जबतक डिग्री स्तरीय पदों के रिक्त होने पर उनके विरुद्ध उनका सामंजन न हो जाय। भविष्य में इन्टर स्तरीय शिक्षा का प्रशासन डिग्री स्तरीय शिक्षा के प्रशासन से पूर्णतया अलग रखा जायगा।

(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/96 में तिथि 21 फरवरी 2000 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में तिथि 16 अक्तूबर 2001 को पारित न्याय-निर्णयों को, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, के अनुपालन के क्रम में वैसे अस्थायी रूप से नियुक्त व्याख्याताओं को, जिनकी अस्थायी सेवा को विभिन्न परिनियमों के आधार पर नियमित किया गया है, वेतन के पुनरीक्षण किये जाने के पूर्व उनकी प्रभावी नियुक्ति की तिथि का निर्धारण उनके सेवा सामंजन की तिथि से किया जायगा। तत्पश्चात ही संबंधित शिक्षकों को उक्त तिथि के आधार पर अनुमान्य विधिमान्य सेवाअवधि के आधार पर, रीडर अथवा प्रोफेसर के पदों पर उनकी प्रोन्नति वैध पाये जाने के पश्चात् ही उनके द्वारा धारित पद पर वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया जायगा। परन्तु जिन शिक्षकों की सेवा नियुक्ति की तिथि से नियमित तथा वैध पायी गयी है, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि को ही प्रभावी नियुक्ति की तिथि मानी जाएगी। इस क्रम में विभाग द्वारा एक

परिपत्र राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच परिचालित किया जायगा जिसमें विभिन्न परिनियमों के आधार पर सामंजित शिक्षकों की प्रभावी नियुक्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में इस विन्दू पर एकरूपता एवं समानता का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा।

(iii) वस्तु स्थिति को स्पष्ट किये जाने तथा वेतन के पुनरीक्षण किये जाने हेतु इस प्रकार के मामलों में नियुक्ति की प्रभावी तिथि के निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक 2244, दिनांक 16 जुलाई 2010 में अंकित तथ्यों को घ्यान में रखा जायगा।

(iv) नवअंगीभूत महाविद्यालयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों की सेवा के संबंध में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-6098/97 में दिनांक 12 अक्तूबर 2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक के वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा, जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में आर0-II तथा एन0आर0 के रूप में प्रतिवेदित है या जिनके सामंजन किये जाने की अनुशंसा उक्त प्रतिवेदन में नहीं की गयी है। अत: न्याय निर्णय के अनुपालन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निर्धारित तथा यू0जी0सी0 द्वारा मापदंडों के अनुरूप शिक्षकों की सेवा नहीं रहने की स्थिति में उन्हें अविलंब सेवामुक्त करने की कार्रवाई की जायगी।

(v) राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत, राजकीय तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों के उपर्युक्त शिक्षकों के रिक्त पदों पर तब तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जायगी, जबतक अन्तर स्नातक (इन्टरमीडिएट) शिक्षा को डिग्री शिक्षा से अलग किये जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

(vi) विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2003 में लगभग छ: सौ शिक्षकों की नियुक्ति डिग्री स्तरीय पदों पर बिना इन्टर-स्तरीय पद एवं डिग्री-स्तरीय पदों को अलग किए ही कर ली गयी है। इससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पत्रांक 1300, दिनांक 21 जुलाई 2001 द्वारा गत वेतन पुनरीक्षण के समय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शर्त्त रखी जा सकती है, तभी उन्हें वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जायगा। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के निमित्त अनियमितता बरतने वाले विश्वविद्यालय अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

(vii) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा की उपलब्धता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश अलग से निर्धारित किया जायगा।

(viii) राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में 1600 विभागों में 10 से कम छात्रों का होना एक गंभीर चिन्ता का विषय है। कुछ महाविद्यालयों के कतिपय विषयों में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है, अत: शिक्षकों के कार्यबल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अघ्यन कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के कार्यबल/ क्षमता का उपयोग लक्जरी के रूप में किया जाना राज्यहित में नहीं है, अत: शिक्षणहित में शिक्षकों के कार्यबल तथा कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग किये जाने की अनिवार्यता को दृष्टिपथ में रखते हुए जिन महाविद्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तथा जिनमें शिक्षकों की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है, वैसे महाविद्यालयों के युक्तिसंगत एकीकरण (Unification)/विलयन (Amalgamation) अथवा बन्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के पूर्व इन महाविद्यालयों में कोई भी नियुक्ति नहीं की जायगी। वर्त्तमान पुनरीक्षण में जिन महाविद्यालयों के विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या का 10 प्रतिशत पद प्रोफेसर का पद (प्रत्येक विभाग में अधिकतम एक) सृजित किये जाने का प्रस्ताव गठित किये जाने के पूर्व उक्त महाविद्यालय के संबंधित विभाग में विगत वर्षों में नामांकित तथा परीक्षा में भाग लेनेवाले छात्रों की संख्या के आधार पर विभागों/महाविद्यालयों की प्रमाणिक सूचना प्राप्त कर लिया जाय। उक्त सूचनाओं की समीक्षा के पश्चात् जिन स्नातक या स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालयों के विभागों में सामान्यतया 10 से कम या नगण्य छात्र रहे हैं, उक्त विषयों की

पढ़ाई अन्य निकटवर्त्ती महाविद्यालयों के विभागों के साथ एकीकृत कर दिया जाय, ताकि सभी विभाग/महाविद्यालय की आर्थिक संभाव्यता बनी रहे। इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन के पश्चात महाविद्यालयों में यदि भौतिक संसाधन अव्यवहृत रह जाता है, तो नए विषय, व्यावसायिक या प्रोफेशनल कोर्स/संस्थान खोलने पर विचार किया जायेगा। इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी किये जाने के पश्चात हीं विश्वविद्यालयों के विभागों/महाविद्यालयों में वरीय वेतनमान के प्रोफेसर/ वरीय प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए जायेंगे।

(ix) इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरा कर लिए जाने की अनिवार्यता के मद्देनजर जबतक रेशनलाइजेशन की कारवाई पूरी नहीं होती है तबतक विश्वविद्यालयों के विभागों/महाविद्यालयों में प्रोफेसर/वरीय वेतनमान के प्रोफेसर के पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

(x) तत्काल शिक्षकों का वेतनमान का पुनर्निर्धारण की कारवाई विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकेक्षकों की सेवा का उपयोग किया जायगा।

3. वेतनमानों में संशोधन की योजना हेतु भारत सरकार की पत्र संख्या 1-32/2006/U-II/U.I(i), दिनांक 31 दिसंबर 2008 में अंकित शर्त्तों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिये जानेवाले आदेशों/ निदेशों का कड़ाई से पालन किया जायगा। विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा इसके अधीन गठित परिनियमों में इस स्कीम से आच्छादित पदों पर चयन की प्रक्रिया न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्त्तें पूर्व से विहित हैं, अतः उन सभी संगत प्रावधानों को इस स्कीम में विहित किये गये शर्त्तों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित किये जानेवाले रेगुलेशनों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया जायगा।

4. दिनांक 01 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि में देय अन्तर वेतन की राशि जिसमें केन्द्र सरकार का 80 प्रतिशत और राज्य सरकार का 20 प्रतिशत हिस्सा है अतः केन्द्र सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति तथा उसकी प्राप्ति के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृत एवं विमुक्त की जायेगी।

5. इस संबंध में संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वास्तविक व्यय भार की गणना कर प्रस्ताव अलग से मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

6. दिनांक 01 अप्रील 2010 से 31 जुलाई 2010 तक के बकाये, वेतनादि तथा महंगाई भत्ता का भुगतान संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्ति के उपरान्त, वास्तविक व्यय भार की गणना कर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 5 (पाँच) वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

7. संबंधित महाविद्यालय/विभाग विहित शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपनी मांग विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे निर्धारित प्रपत्र में स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विवरणी दर्शाते हुए समेकित मांग राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के सचिव।

एपेन्डिक्स -1

पुनरीक्षित वेतनमान, उसका वेतन निर्धारण का सूत्र (फार्मूला) एवं प्रक्रिया :

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान् में निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित किया जाएगा :-

(1) वेतन बैण्ड/वेतनमान में निर्धारण दिनांक 01 जनवरी 2006 को प्राप्त मूल वेतन में मंहगाई भत्ता की राशि को जोड़कर किया जायेगा।

(2) अगर क्रमांक 1 की राशि नए/ चालू वेतन बैण्ड में न्यूनतम से कम हो तो वेतन का निर्धारण चालू वेतन बैण्ड के न्यूनतम प्रक्रम पर होगा।

(3) अगर वेतन निर्धारण के क्रम में किसी शिक्षक का वर्त्तमान प्राप्त वेतन चालू वेतन बैण्ड के दो या दो से अधिक प्रक्रम पर गुच्छित हो जाता है तो पहले पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाए। तत्पश्चात् दो गुच्छित प्रक्रम के बदले एक वेतन वृद्धि चालू वेतन बैण्ड में देकर वेतन निर्धारित किया जाएगा। इस हेतु वेतन वृद्धि की राशि की गणना मात्र वेतन बैण्ड की राशि का 3 % जोड़कर की जाएगी। इस तरह के गुच्छित वेतन की विसंगति को दूर करने हेतु एकेडेमिक ग्रेड पे की राशि को वेतन वृद्धि के रूप में जोड़ा नहीं जाएगा।

(4) उपर्युक्त गुच्छण (बन्चिंग) के कारण किसी शिक्षक का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान् में (जहाँ प्रयोज्य हो) उच्च प्रक्रम पर निर्धारित हो तथा वैसे शिक्षक जिसका सामान्य तौर पर उच्च प्रक्रम पर निर्धारित वेतन से अधिक हो जाने पर, बाद के शिक्षक का वेतन बढ़ाकर, पहले शिक्षक के बराबर/समतुल्य किया जा सकेगा।

(5) उपर्युक्त विधि से वेतन का निर्धारण नए वेतन बैण्ड में किया जाएगा। नए वेतन बैण्ड में वेतन के अलावा एकेडेमिक ग्रेड पे वर्त्तमान वेतनमान् एवं पद के समतुल्य अनुमान्य होगा।

(6) नए वेतन सरंचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर:- नए वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर वेतन बैण्ड में वेतन एवं एकडेमिक ग्रेड पे के जोड़ का 3% (10 के पूर्णांक राशि पर) अनुमान्य होगा। वेतन वृद्धि की राशि वेतन बैण्ड के निर्धारित वेतन में वेतन वृद्धि की तिथि को जोड़ा जाएगा।

(7) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की अगली तिथि :-

नए वेतन संरचना में एक समान वृद्धि की तिथि होगी, जो 1 जुलाई प्रतिवर्ष होगा। शिक्षक 6 महीना या उससे अधिक की अवधि पुनरीक्षित वेतन बेंण्ड में पूरा करने पर प्रथम जूलाई को अगली वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। 01 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहला वेतन वृद्धि 01 जूलाई 2006 को नए वेतन संरचना में, वैसे शिक्षक जिनके वेतन-वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच है, वेतन वृद्धि पा सकेंगे।

(8) अगर कोई शिक्षक वर्त्तमान वेतनमान में उच्चतम प्रकम पर 01 जनवरी 2006 को एक वर्ष से अधिक से वेतन प्राप्त करते हो तो उनको 01 जनवरी 2006 को ही नए वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के पश्चात् एक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगा। उसके पश्चात् उन्हें ऊपर वर्णित नियम-7 के अनुसार वेतन वृद्धि अनुमान्य होगा।

नोट 1:- वैसे शिक्षक जिनकी 1 जनवरी 2006 या उसके बाद, स्वीकृत पद के अभाव में त्याग पत्र दे दिया हो, अनुशासनिक कारवाई के आधार पर मुअत्तल कर दिया गया हो या सेवा समाप्त कर दी गई हो तथा उन्होने अपना विकल्प निर्धारित तिथि तक नहीं दिया हो, तो वे इस नियम के तहत् लाभ पाने के हकदार होगें।

नोट 2:- वैसे व्यक्ति जिनकी 1 जनवरी 2006 या उसके बाद मृत्यु हो गई हो तथा वे अपना विकल्प निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया हो तो मान लिया जाएगा कि वे 01 जनवरी 2006 से नए वेतन संरचना मे वेतन हेतु अपना विकल्प दे चूके हैं एवं तदनुसार वे नये वेतन बेंण्ड में वेतन पा सकेंगे जो उनके आश्रित के लिए लाभप्रद होगा।

नोट 3:- वैसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2006 को अवकाश पर हो तो उन्हें नए वेतन संरचना के अनुसार अवकाश वेतन अनुमान्य होगा।

नोट 4:- विकल्प का प्रारूप अनुलग्नक क्रमांक-4 के रूप में संलग्न है।

2. वेतन विसंगति दूर करना :

(*i*) पुनरीक्षित यू0जी0सी0 वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा लेकिन कोई वर्त्तमान शिक्षक अपने वर्त्तमान वेतनमान में दूसरे वेतन वृद्धि-प्राप्त करने की तिथि तक अथवा जबतक पूर्व पद पर बने रहते हैं या वेतन

प्राप्त करना बन्द होने तक बने रहने तक विकल्प का चयन करते हो, उसके बाद से पुनरीक्षित वेतन बेंण्ड एवं ए0जी0पी0 अनुमान्य होगा। इस संदर्भ में विकल्प का चयन इस संकल्प के निर्गत करने के तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अगर इस प्रकार के विकल्प का चयन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता हो तो मानलिया जाएगा कि संबंधित शिक्षक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान् पाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प एवं शपथ प्रपत्र को उनकी सेवा पुस्तिका के में चिपका दिया जाएगा तथा उसकी एक प्रति उनके व्यक्तिगत संचिका में अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

(*ii*) कार्यालय प्रधान के द्वारा किसी शिक्षक का वेतन निर्धारण प्रपत्र तीन प्रतियों में संलग्न प्रपत्र में तैयार कर संकल्प में अंकित शर्त्तो का अनुपालन के अधीन विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा वेतन निर्धारण प्रपत्र की सम्यक जाँच के पश्चात निर्धारित वेतन में विश्वविद्यालय में वित्त विभाग के प्रतिनियुक्ति अंकेक्षक दल से स्वीकृति प्राप्त करेगी। उक्त जाँचोपरान्त स्वीकृत वेतन निर्धारण प्रपत्र की दो प्रतियाँ संबंधित संस्था के प्रधान को लौटा दी जाएगी एवं एक प्रति विश्वविद्यालय के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी। संस्था के प्रधान के द्वारा वेतन निर्धारण प्रपत्र की मूलप्रति संबंधित शिक्षक के बकाए वेतन विपत्र के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय को भेजेगी तथा द्वितीय प्रति संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत फाइल में संचित कर रखी जाएगी। संबंधित शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय वित्त विभाग के प्रतिनियुक्ति अंकेक्षकों की स्वीकृति के पश्चात् ही की जा सकेगी।

वेतन निर्धारण प्रपत्र को एकाउँटेन्ट जेनरल के कार्यालय के अंकेक्षक दल तथा राज्य सरकार के विशेष अंकेक्षक दल द्वारा विश्वविद्यालय में अंकेक्षण हेतु आने के दौरान टेस्ट चेक हेतु प्रस्तुत किया जायगा।

एपेन्डिक्स-2

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत वेतनमान:-

क्र० सं०	पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		नया पदनाम
			पे बैंड	ए०जी०पी०*	
1	व्याख्याता	8000-275-13500	15600-39100	6000	सहायक प्रोफेसर
2	व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	10000-325-15200	15600-39100	7000	सहायक प्रोफेसर (वरीय वेतनमान)
3	व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान)	12000-420-18300	15600-39100	8000	सहायक प्रोफेसर (सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान)
4	उपाचार्य/रीडर	12000-420-18300	15600-39100	8000	एसोसिएट प्रोफेसर
5	विश्वविद्यालय प्राचार्य	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	9000/12000	प्रोफेसर
6	प्रधानाचार्य	12000-420-18300	37400-67000	10000	प्रधानाचार्य(यू0जी0)
7	प्रधानाचार्य	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	10000	प्रधानाचार्य(पी0जी0)
8	कुलपति	25000 (निश्चित वेतन)	75000(निश्चित वेतन)+5000 (विशेष भत्ता)		यथावत
9	प्रतिकुलपति	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	10000/12000	यथावत

* ए०जी०पी०- एकेडमिक ग्रेड-पे (Academic Grade Pay)

एपेन्डिक्स-3

फिटमेंट तालिका-1

Incumbent Assistant Professor (Formerly Lecturer)

Pre-revised scale Rs. 8000-275-13500 (Group A entry)	Revised Pay Band+AGP Rs. 15600-39100+AGP 6000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
8000	15600	6000	21600
8275	15600	6000	21600
8550	15910	6000	21910
8825	16420	6000	22420
9100	16930	6000	22930
9375	17440	6000	23440
9650	17950	6000	23950
9925	18470	6000	24470
10200	18980	6000	24980
10475	19490	6000	25490
10750	20000	6000	26000
11025	20510	6000	26510
11300	21020	6000	27020
11575	21530	6000	27530
11850	22050	6000	28050
12125	22560	6000	28560
12400	23070	6000	29070
12675	23580	6000	29580
12950	24090	6000	30090
13225	24600	6000	30600
13500	25110	6000	31110
13775	25630	6000	31630
14050	26140	6000	32140
14325	26650	6000	32650

तालिका-2

Incumbent Assistant Professor [Formerly Lecturer (Sr. Scale)]

Pre-revised scale Rs. 10000-325-15200	Revised Pay Band+AGP Rs. 15600-39100+AGP 7000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
10000	18600	7000	25600
10325	19210	7000	26210
10650	19810	7000	26810
10975	20420	7000	27420
11300	21020	7000	28020
11625	21630	7000	28630

Pre-revised scale Rs. 10000-325-15200	Revised Pay Band+AGP Rs. 15600-39100+AGP 7000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
11950	22230	7000	29230
12275	22840	7000	29840
12600	23440	7000	30440
12925	24050	7000	31050
13250	24650	7000	31650
13575	25250	7000	32250
13900	25860	7000	32860
14225	26460	7000	33460
14550	27070	7000	34070
14875	27670	7000	34670
15200	28280	7000	35280
15525	28880	7000	35880
15850	29490	7000	36490
16175	30090	7000	37090

तालिका–3

Incumbent Readers and Lecturers (SG) with less than 3 years of Service

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300	Revised Pay Band+AGP Rs. 15600-39100+AGP 8000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
12000	22320	8000	30320
12420	23110	8000	31110
12840	23890	8000	31890
13260	24670	8000	32670
13680	25450	8000	33450
14100	26230	8000	34230
14520	27010	8000	35010
14940	27790	8000	35790
15360	28570	8000	36570
15780	29360	8000	37360
16200	30140	8000	38140
16620	30920	8000	38920
17040	31700	8000	39700
17460	32480	8000	40480
17880	33260	8000	41260
18300	34040	8000	42040
18720	34820	8000	42820
19140	35610	8000	43610
19560	36390	8000	44390

तालिका–4

Incumbent Readers and Lecturers (SG) with 3 years of Service

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300	Revised Pay Band+AGP Rs. 37400-67000+AGP 9000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
13260	37400	9000	46400
13680	37400	9000	46400
14100	37400	9000	46400
14520	37400	9000	46400
14940	38530	9000	47530
15360	38530	9000	47530
15780	39690	9000	48690
16200	39690	9000	48690
16620	40890	9000	49890
17040	40890	9000	49890
17460	42120	9000	51120
17880	42120	9000	51120
18300	43390	9000	52390
18720	43390	9000	52390
19140	44700	9000	53700
19560	44700	9000	53700

तालिका–5

(i) Incumbent Professor in Colleges and Universities

(ii) Incumbent Principals of PG Colleges

Pre-revised scale Rs. 16400-450-20900-500-22400 (S27 and S29)	Revised Pay Band+AGP Rs. 37400-67000+AGP 10000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
16400	40890	10000	50890
16850	40890	10000	50890
17300	42120	10000	52120
17750	42120	10000	52120
18200	43390	10000	53390
18650	43390	10000	53390
19100	44700	10000	54700
19550	44700	10000	54700
20000	46050	10000	56050
20450	46050	10000	56050
20900	47440	10000	57440
21400	47440	10000	57440
21900	48870	10000	58870

Pre-revised scale Rs. 16400-450-20900-500-22400 (S27 and S29)	Revised Pay Band+AGP Rs. 37400-67000+AGP 10000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
22400	48870	10000	58870
22900	50340	10000	60340
23400	50340	10000	60340
23900	51860	10000	61860

तालिका–6

Incumbent Principals of UG Colleges

Pre-revised scale Rs. 12000-420-18300 (minimum to be fixed at Rs. 12840)	Revised Pay Band+AGP Rs. 37400-67000+AGP 10000		
Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Academic Grade Pay	Revised Basic Pay
12840	37400	10000	47400
13260	37400	10000	47400
13680	37400	10000	47400
14100	37400	10000	47400
14520	37400	10000	47400
14940	38530	10000	48530
15360	38530	10000	48530
15780	39690	10000	49690
16200	39690	10000	49690
16620	40890	10000	50890
17040	40890	10000	50890
17460	42120	10000	52120
17880	42120	10000	52120
18300	43390	10000	53390
18720	43390	10000	53390
19140	44700	10000	54700
19560	44700	10000	54700

एपेन्डिक्स-4

पुनरीक्षित वेतनमान बेण्ड में वेतन निर्धारण-उदाहरण

उदाहरण-1

किसी शिक्षक के वर्त्तमान वेतनमान में मूल वेतन 8275/- 01.08.2005 को हैं तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में उन्हें वेतन बैंड 15600-39100 के साथ एकेडेमिक ग्रेड पे 6000/- रू0 अनुमान्य होगा तथा उनका वेतन वृद्धि 1 अगस्त 2006 होगा। उनका वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड में निम्नप्रकार निर्धारित की जायगी :-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान)+मंहगाई भत्ता (74%) - 8275+6124=14399 या 14400/-
2. वेतन बैंड में वेतन (फिटमेंट तालिका-1 के अनुसार) - 15600/-
3. अनुमान्य एकेडेमिक ग्रेड पे - 6000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (क्रमशः- 2 + 3) - 21600/-

उनका वेतन 21600/- रू0 निर्धारित होगा एवं उनका पदनाम सहायक प्रोफेसर किया जाएगा तथा उनके अगले वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2006 होगी एवं 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि जोड़कर मूल वेतन 22250/- रू0 होगा।

उदाहरण - 2

वरीय शिक्षक जो वर्त्तमान 10000-325-15200 में मूलवेतन 01.10.2005 को 11625/- रू0 प्राप्त करते है, उनको पुनरीक्षित वेतन संरचना में 15600-39100 के वेतन बैंड पर 7000/- रू0 एकेडेमिक ग्रेड पे अनुमान्य होगा। उनका वेतन वृद्धि की तिथि 1 अक्टूबर होने पर, उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा :-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान)+मंहगाई भत्ता (74%) - 11625+8603=20228 या 20230/-
2. वेतन बैंड में वेतन (फिटमेंट तालिका-2 के अनुसार) - 21630/-
3. अनुमान्य एकेडेमिक ग्रेड पे - 7000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (क्रमशः- 2 + 3) - 28630/-

उनका वेतन 01.01.2006 को 28630/- रू0 निर्धारित होगा एवं उन्हें सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाएगा एवं पहले वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2006 को होगा। वेतन वृद्धि की 3 प्रतिशत राशि 01.07.2006 को जोड़ने पर उनका मूलवेतन 29490/- रू0 हो जाएगा।

उदाहरण - 3

एक व्याख्याता जिनका 01.04.2005 को 8000-275-13520 के वेतनमान में मूलवेन 10200/- रू0 है, उनको वेतनवृद्धि की तिथि 1 अप्रील प्रति वर्ष है तथा वह 01.03.2006 से नया वेतन का विकल्प दिया है, तो उन्हें वेतन बैंड 15600-39100 एवं ए0जी0पी0 6000/- अनुमान्य होगा एवं उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा।

1. वर्त्तमान मूलवेतन + मंहगाई भत्ता (74%) - 10200+7548=17748 या 17750/-
2. वेतन बैंड के वेतन (फिटमेंट तालिका-1के अनुसार) - 18980/-
3. ए0जी0पी0 अनुमान्य - 6000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 24980/-

उनका मूल वेतन 24980/- निर्धारित होगा एवं नामकरण सहायक प्रोफेसर होगा तथा 01.07.2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात मूल वेतन 25730/- रू0 होगा।

उदाहरण - 4

एक वरीय व्याख्याता 01.02.2006 को वेतनमान 10000-325-15200 में मूलवेतन 14875/- रू0 प्राप्त करते है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में उन्हें वेतन 15600-39100 एवं ए0जी0पी0 7000/- रू0 अनुमान्य होगा एवं उनका वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 फरवरी प्रतिवर्ष है तो उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा :-

1. वर्त्तमान मूलवेतन + मंहगाई भत्ता (74%) - 14875+11008/-25883 या 25890/-
2. वेतन बैंड के वेतन (फिटमेंट तालिका-2 के अनुसार) - 27670/-
3. ए0जी0पी0 अनुमान्य - 7000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 34670/-

उनका वेतन 34670/- पर निर्धारित होगा तथा उनका नाम सहायक प्रोफेसर होगा एवं अगली वेतन वृद्धि 01.07. 2006 को होगा तथा वेतन वृद्धि जोड़ने के पश्चात उनका मूलवेतन 35720/- रू0 अनुमान्य हो सकता है।

उदाहरण - 5

एक (सेलेक्सन ग्रेड) व्याख्याता/रीडर (उपाचार्य) को 02.11..2004 को वेतनमान 12000-400-18300 में रखा गया तथा उनका वेतन 01.11.2005 को 12420/- रू0 वेतनमान 12000-18300 में है। चूँकि 01.01.2006 को वेतनमान 12000-18300 में तीन वर्ष पूरा नहीं किये है अत: उन्हें पुनरीक्षित वेतन बैंड 15600-39100 एवं ए0जी0पी0 8000/- रू0 अनुमान्य होगा। उनका अगला वेतन वृद्धि 1.11 प्रतिवर्ष है। उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा:-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान) + मंहगाई भत्ता (74%) - 12420+9191=21611 या 21612/-
2. वेतन बैंड में वेतन (फिटमेंट तालिका-3 के अनुसार) - 23110/-
3. ए0जी0पी0 - 8000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 31110/-

उनका मूल वेतन 31110/- रू0 बिना उनके पदनाम में परिवर्त्तन के निर्धारित होगा। जब तक कि वे वेतनमान 12000-18300 में तीन वर्ष पूरा नहीं कर लेतें है। उसके पश्चात उन्हें उच्च वेतन बैड 37400-67000/- एवं ए0जी0पी0 9000/- के साथ उन्हें एसोशिएट प्रोफेसर के रूप में पद नामित किया जाएगा तथा उनका वेतन निर्धारण उदाहरण क्रमांक-6 के अनुसार होगा। तत्काल उन्हें वेतनमान 15600-39100 में 01.07.2006 को अगली वेतन वृद्धि देने पर उनका वेतन 32050/- रू0 अनुमान्य हो सकता है।

उदाहरण - 6

एक व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड)/रीडर जो पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान 12000-420-18300 में 02.11.2004 को आने पर वर्त्तमान मूल वेतन 12420/- रू0 01.11.2005 को प्राप्त कर रहे है। उन्हें 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतन बैंड 15600-39100 के साथ ए0जी0पी0 8000/- प्राप्त है। उनका उदाहरण 5 में वेतन निर्धारण के पश्चात 02.11.2007 तक वेतन बैंड 15600-39100 प्राप्त करते हुये पदनाम पूर्वतत रहेगा। उसके पश्चात् उनको वेतन 02.11.2007 को रीडर के वेतनमान में तीन वर्ष पूरा कने के पश्चात निम्नप्रकार पर निर्धारित होगा:-

1. 02.11.2007 को पुराने वेतनमान में प्राप्त वेतन +मंहगाई भत्ता (74%)-13260+9886=23072 या 23070/-
2. वेतन बैंड में वेतन (फिटमेंट तालिका-3 के अनुसार) - 37400/-
3. ए0जी0पी0 - 9000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 46400/-

उनका मूल वेतन निर्धारित होगा 46400/- रू0 02.11.2007 को होगा एवं उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जएगा तथा वेतन बेंण्ड 37400-67000/- अनुमान्य होगा। उनको अगला वेतन वृद्धि 01.07.2008 को दिये जाने के पश्चात मूल वेतन 47800/- रू0 निर्धारित हो सकता है।

उदाहरण - 7

एक व्याख्याता (सेलेक्सन ग्रेड)/उपाचार्य को 27.07.1998 को वेतनमान 12000-420-18300 में प्रोन्नति दिया गया तथा 01.07.2005 को उनका मूलवेतन 14940/- रू0 वर्त्तमान वेतनमान में है। चूकि उन्होंने 01.01.2006 से पूर्व वेतनामन 12000-18300 में तीन वर्षों की सेवा पूरा कर लिया है। अत: उन्हें पुनरीक्षित वेतन बैंड 37400-67000 के साथ ए0जी0पी0 9000/- अनुमान्य होगा। उनका अगला वेतन वृद्धि 1.7 प्रतिवर्ष है, अत: उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा:-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान) + मंहगाई भत्ता (74%) - 14940+11056=25996 या 26000/-
2. वेतन बैंड में निर्धारित वेतन (फिटमेंट तालिका-4 के अनुसार) - 38530/-
3. ए0जी0पी0 - 9000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 47530/-

उनका वेतन मूल वेतन 47530/- एवं निर्धारित होगा एवं उनका पदनाम एसोशिएट प्रोफेसर होगा। 01.07.2006 को वेतन वृद्धि देने के पश्चात उनका मूल वेतन 48960/- रू0 हो सकता है।

उदाहरण- 8

एक प्रोफेसर 01.07.2005 को वेतनमान 16400-22400 में मूल वेतन 20450/- रू0 पाते है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में उन्हें वेतन बैंड 37400-67000 के साथ ए0जी0पी0 10000/- अनुमान्य होगा। उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई प्रतिवर्ष है अत: उनका वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा :-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान) + मंहगाई भत्ता (74%) - 20450+15133=35583 या 35590/-
2. वेतन बैंड में वेतन (फिटमेंट तालिका-5 के अनुसार) - 46050/-
3. अनुमान्य ए0जी0पी0 - 10000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2 +3) - 56050/-

उनका मूल वेतन 56050/- निर्धारित होगा। उनका अगले वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2006 एवं वेतन वृद्धि की 3 % राशि जोड़ने के पश्चात 01.07.2006 को मूल वेतन 57740/- रू0 हो सकता है।

उदाहरण- 9

एक प्रधानाचार्य को अपना मूल वेतन दिनांक को 01.09.2005 को वेतनमान 12000-420-18300 में 17040/- रू0 पाते तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में उन्हें वेतन बैंड 37400-67000 एवं ए0जी0पी0 10000/- अनुमान्य होगा। उनका अगला वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर है। उनका पुनरीक्षित वेतन निम्नप्रकार निर्धारित होगा :-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान) + मंहगाई भत्ता (74%) - 17040+12610=29650
2. वेतन बैंड में निर्धारित वेतन (फिटमेंट तालिका-6 के अनुसार) - 40890/-
3. ए0जी0पी0 - 10000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 50890/-

उनका मूल वेतन 50890/- रू0 निर्धारित होगा। उनका अगला वेतन वृद्धि 01.07.2006 एवं वेतन वृद्धि की 3 % राशि जोड़कर 01.07.2006 को मूलवेतन 52420/- रू0 हो सकता है।

उदाहरण - 10

एक प्रधानाचार्य दिनांक 01.12.2005 को वेतनमान 16400-22400 में 21400/- प्राप्त करता है तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनको वेतन बैंड 37400-67000 एवं ए0जी0पी0 10000/- रू0 अनुमान्य होगा। उनके अगला वेतन वृद्धि की तिथि 1 दिसम्बर प्रतिवर्ष हैं अत: उनका पुनरीक्षित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण निम्नप्रकार होगा:-

1. मूल वेतन (वर्त्तमान) + मंहगाई भत्ता(74%) - 21400+15836=37236 या 37240/-
2. वेतन बैंड में निर्धारित वेतन (फिटमेंट तालिका-5 के अनुसार) - 47440/-
3. ए0जी0पी0 - 10000/-
4. पुनरीक्षित मूल वेतन (2+3) - 57440/-

उनका मूल वेतन 57440/- रू0 निर्धारित होगा। उन्हें अगला वेतन वृद्धि 01.07.2006 को 3 प्रतिशत जोड़कर मूलवेतन 59170/- रू0 अनुमान्य हो सकता है।

एपेन्डिक्स - 5

विकल्प प्रपत्र

1. (i) मैं ..... एतद द्वारा चालू वेतन वोण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड-पे (यू0जी0सी0) 01 जनवरी 2006 से चयन करता हूँ।

(ii) मैं ..... एतद द्वारा अपने वर्त्तमान पद एवं वेतनमान में निम्नलिखित तिथि तक बने रहने का चयन करता हूँ।

(iii) मेरे अगले वेतन-वृद्धि की तिथि ..... को है।

(iv) मेरे अगले वेतन-वृद्धि के पश्चात मेरा वर्त्तमान वेतन में वेतन ..... रु0 बढ़कर हो जायगा।

(v) मैं अपने वर्त्तमान वेतनमान में प्राप्त वेतन लेना छोड़ दूंगा। मेरा वर्त्तमान पद ..... में वर्त्तमान वेतनमान ..... है।

2. मेरे द्वारा चयनित विकल्प अंतिम है तथा वाद की तिथि को इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

शपथ प्रपत्र

मैं, इस शपथ के द्वारा वचन देता हूँ कि अन्यथा तथ्यों के आधार पर अथवा इस संकल्प में निर्गत राजकीय निदेशों एवं शर्त्तो के अनुरूप, वेतन निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप प्राप्त अधिक वेतन या अन्य किसी प्रकार के त्रुटि के कारण (दोषपूर्ण) वेतन निर्धारण के आधार पर लिया गया अधिक वेतन की जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान प्राप्त की गयी राशि विश्वविद्यालय को लौटा दूँगा या उक्त राशि को मेरे अगले अनुमान्य भुगतेय राशि में से विश्वविद्यालय द्वारा उसका समायोजन कर लिया जाएगा।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

संस्था जहॉ कार्यरत है :

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया

तिथि : हस्ताक्षर

स्थान : कार्यालय प्रधान

घोषणा की तिथि : उपर्युक्त प्राप्त किया

स्थान :

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान

एपेन्डिक्स - 6

शिक्षकों का चालू वेतन बोण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड पे में वेतन निर्धारण प्रपत्र :-

विभाग/ महाविद्यालय का नाम .....

विश्वविद्यालय का नाम .....

.....

01. शिक्षक का नाम एवं पदनाम .....

02. मूलपद/ कार्यकारी पद .....

03. (i) वर्त्तमान वेतन मान् .....

(ii) वर्त्तमान वेतनमान में अंतिम वेतन-वृद्धि की तिथि .....

04. (i) चालू वेतन बेंण्ड .....

(ii) एकेडेमिक ग्रेड-पे .....

05. नियमानुसार चयनित विकल्प की तिथि जब से चालू वेतन बोण्ड एवं ग्रेड पे पाने का विकल्प दिया गया है :-

06. पूर्व निर्धारित वेतन की ब्योरा :-

(क) मूलवेतन नियम -

(ख) मूलवेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता :-

(ग) पूर्व निर्धारित वेतन का जोड (क + ख) :-

07. वेतन निर्धारण तालिका (जो आवश्यक हो) की संख्या .....

08. (क) दिए गए वेतन निर्धारण तालिका के अनुरूप उपर्युक्त वेतन बैण्ड में निर्धारित वेतन

(ख) एकेडेमिक ग्रेड-पे .....

(ग) कुल (क + ख)

9. अगले वेतन-वृद्धि की तिथि (विहित नियम के अधीन)

10. अभ्युक्ति

प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) चालू वेतन बोण्ड एवं एकेडेमिक ग्रेड-पे में वेतन निर्धारण राजकीय संकल्प में अंकित शर्त्तों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं ..... के अनुरूप किया गया है।

(ii) संबंधित कर्मी से इस आशय का शपथ-पत्र (प्रतिज्ञापन) लिया गया है कि अगर किसी कारण से उन्हें अधिक वेतन का भुगतान होने पर अधिक भुगतेय राशि लौटा दी जाएगी।

स्थान : संस्था के प्रधान का हस्ताक्षर एवं पदनाम

तिथि :

जाँचा एवं स्वीकृत किया

स्थान :

तिथि : वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय

.....

प्रतिलिपि:- (i) संस्था के प्रधान (दो प्रतियों में)

(ii) लेखा प्रशाखा/ वेतन निर्धारण शाखा विश्वविद्यालय

वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 622-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in